साथियों, यदि 15 अगस्त तक संवर्ग की मॉगों के सम्बन्ध में शासन स्तर से शासनादेश/नियमावली संशोधन निर्गत नहीं होते हैं तो यह प्रान्तीय कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय लिया जा चुका है कि हमें आन्दोलन के रास्ते पर चलना है। आन्दोलन का कार्यक्रम व रूपरेखा, मा0 मुख्य सचिव महोदय को संस्था द्वारा दिनॉक 05.07.2016 को दिये, आन्दोलन के नोटिस में दी गई है, जिसकी प्रति आपको दी गई है। साथियों, यदि आन्दोलन की परिस्थिति आती है तो उसकी तैयारी हमें अभी से करनी है तथा एक प्रभावी व अनुशासित आन्दोलन करना है। आन्दोलन से पूर्व व आन्दोलन के दौरान अनुपालन किये जाने हेतु कुछ निर्देश निम्न प्रकार हैं –

1. सभी जिला अध्यक्ष/सचिव प्रान्त से मोबाइल/वाटसअप पर दी गई सूचना प्राप्त होने तथा संघ की वेबसाइट पर डाले गये पत्र प्रति दिन देखेंगे व तहसील उपशाखाओं तक अतिशीघ्र पहुँचाना सुनिश्चित करने की व्यवस्था करे।
2. तहसील मुख्यालयों पर उपजिलाधिकारियों के माध्यम से मा0 राजस्व मंत्री महोदय को दिनॉक 15 जुलाई 2016 को प्रेषित किये जाने वाले ज्ञापन की सूचना उपशाखाओं के पदाधिकारी अपने उपजिलधिकारियों को 15 जुलाई से पूर्व लिखित में दें और समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशन हेतु भी प्रति दें।
3. दिनॉक 15 जुलाई 2016 को ज्ञापन देते समय तहसील के समस्त लेखपाल एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन करते हुए उपजिलाधिकारियों के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित करेंगे।
4. दिनॉक 15 जुलाई 2016 को दिये जाने वाले ज्ञापन का प्रारूप पत्र के साथ वेबसाइट पर उपलब्ध है। उपशाखाओं के पदाधिकारी संस्था के लेटरपैड पर अध्यक्ष व सचिव दोनों के हस्ताक्षर कर ज्ञापन प्रेषित करेंगे।
5. सभी जनपद शाखायें व तहसील उपशाखायें 15 अगस्त 2016 से पूर्व कार्यकारिणी की बैठक करना सुनिश्चित करेंगी तथा बैठकों के दिनॉक की पूर्व सूचना जिला सचिव अपने मण्डल के खण्डमंत्रीयों को समय से देना सुनिश्चित करें।
6. तहसील की बैठकों में जनपद के पदाधिकारी तथा जनपद की बैठकों में प्रान्तीय पदाधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थिति हों। बैठकों में आन्दोलन को प्रभावशाली व सफल बनाने के लिए तथा आम साथियों में जागरूकता लाने के लिए विचार विमर्श किया जाये। आन्दोलन में आ सकने वाली समस्याओं पर पूर्व में ही विचार कर लिया जाये तथा प्रान्तीय सहयोग की आवश्यकता होने पर तत्काल अवगत करायें।
7. 16 अगस्त 2016 को तहसील उपशाखाओं के द्वारा दिये जाने वाले ज्ञापन का प्रारूप आन्दोलन के दिनॉक से पूर्व उपलब्ध करा दिया जायेगा।
8. 17 अगस्त 2016 से 22 अगस्त 2016 तक कार्य दिवसों में सभी लेखपाल काली पटटी बांधकर सरकारी कार्य करेंगे।
9. 16 अगस्त 2016 को तहसील मुख्यालयों व 23 अगस्त से जनपद मुख्यालयों पर होने वाले धरना प्रदर्शन में संस्था का बैनर संस्था के प्रस्तावानुसार लाल रंग का होगा जिसपर सफेद रंग से संस्था का नाम व मॉगें लिखी होंगी। बैनर की एकरूपता अनिवार्य है।
10. 23 अगस्त से प्रदेश के समस्त लेखपाल **"पूर्ण कार्य बहिष्कार"** कर जनपद मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान लेखपाल कोई भी सरकारी कार्य नहीं करेंगे।
11. पूर्ण कार्य बहिष्कार के आन्दोलन में शाखा उपशाखाओं के पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे की सभी लेखपाल आन्दोलन में सक्रिय हों।यदि कोई भी लेखपाल (जिसमें प्रभारी राजस्व निरिक्षक, रजिष्टार कानूनगो कार्यालय में सम्बद्ध, कम्पयूटर से सम्बद्ध या भूलेख कार्यालय से सम्बद्ध भी शामिल हैं) आन्दोलन में असहयोग करे या बिना कारण अनुपस्थित रहे या अन्य प्रकार से अनुशासनहीनता करे तो जिलाध्यक्ष/जिला सचिव